न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 3/2020

बउनवान

कन्हैयालाल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री बजरंगलाल जाति मेघवाल निवासी देवपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)

(प्राथी)

बनाम

1. गोबरीबाई पुत्री माधो पत्नि केदार जाति बैरवा निवासी पापड़ली
2. देवबाई पुत्री माधो पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां
3. सुमित्रा पुत्री माधो पत्नि श्योजी जाति बैरवा निवासी धतूरिया
4. बृजमोहन पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी देवपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम, 1970

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 13.09.2022

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि वितरण समिति पचेलकलां द्वारा दिनांक 28.06.1976 को माधो पुत्र भैरू जाति बैरवा निवासी देवपुरा को आवंटन की गई। आवंटन दिनांक को कोरम पूर्ण नहीं था जबकि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन कमेटी में अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्यों का होना आवश्यक है। उक्त आराज़ी के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 135 रकबा 0.88 है. कायम किया गया है जो आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पर आवंटन दिनांक या उसके पश्चात कभी भी आवंटी का उसके जीवनकाल में तथा ना ही उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। वर्तमान में उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर प्रार्थी का बरसों पुराना लगभग 40 वर्ष से मकान बना हुआ है प्रार्थी के अतिरिक्त उक्त आराजी पर बृजमोहन पुत्र बजरंगलाल मेघवाल का भी मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी व बृजमोहन निवास कर रहे हैं। आवंटी एवं उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 5 बीघा 10 [illegible] फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंट[illegible] उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब [illegible] अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] प्राप्त

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित कथन पेश करते हुए कथन किया कि भू आवंटन के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:51 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन की शर्तों की पालना करना व दो वर्ष की अवधि में कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त आराजी पर आवंटी ने कभी भी कब्जा प्राप्त नहीं किया है वर्तमान में भी उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के तहत आवंटन कमेटी के 7 मेम्बरों में से 3 मेम्बरों का होना आवश्यक है। अध्यक्ष को मेम्बर नहीं माना गया है। अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत आरआरसी 1993 पृष्ठ संख्या 448 की छायाप्रति पेश की।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता को दिनांक 28.06.1976 को उक्त आराजी का विधिसम्मत तरीके से आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष अपना आवंदन पेश नही किया इसलिये आवंटी का आवंटन खारिज करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। प्रार्थी स्वंय की हैसियत उक्त आराजी पर अतिक्रमी की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पर विचारण किया गया। दिनांक 28.06.1976 को किये गये आवंटन के विरूद्ध लगभग 44 वर्ष पश्चात प्रस्तुत इस कार्यवाही में विलम्ब का कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

आवंटी माधो पुत्र भैरूलाल को ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 28.06.1976 को किया गया। खसरा नंबर 174 से हाल खसरा नंबर 135 कायम किये गये जो मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2044–63 अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा आवंटन समिति के समक्ष भूमि आवंटन करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश किया हो ऐसा सबूत भी उनके द्वारा पेश नहीं किया गया। प्रार्थी उक्त भूमि पर अपना व बृजमोहन पुत्र बजरंगलाल का मकान होना बताते हैं। यदि उनके द्वारा आवंटी माधो को आवंटित भूमि पर मकान बना रखा है तो वे उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज हैं जिसका उन्हे अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी की एक आपत्ति है कि वक्त आवंटन दिनांक 28.06.1976 को पूर्ण कोरम नहीं था। आवंटन नियम 1970 के अनुसार आवंटन कमेटी के अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसकी पुष्टि न्यायिक दृष्टांत आरआरसी 1993 पृष्ठ संख्या 448 से होती है। परन्तु चूंकि प्रार्थी द्वारा कार्यवाही देरी से पेश करने के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं दिये हैं व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:51 IST
Reason: SelfAttested